

## प्रेस नोट दिनांक-23.11.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 23.11.2020 को एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा रेलवे स्टेश, कस्बा मारकुण्डी व स्व0 दादू भाई इण्टर कालेज में, थाना बहिलपुरवा द्वारा आर्यवृत बैंक में भ्रमण कर छात्राओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना/एण्टी रोमियो टीम व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में प्रभावी पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में श्री अरुण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी एवं पैरोकार आरक्षी श्री आनन्द कुमार द्वारा कड़ी मेहनत कर चिन्हित मुकदमे में समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी श्री सुशीलचन्द्र द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-5, चित्रकूट द्वारा कोतवाली कर्वी के मु0अ0सं0 84/2014 धारा 302/34/201 भादव के आरोपित अभियुक्तगण 1. राजा भइया यादव पुत्र रामधर यादव 2. राजू निवासी कर्वी जनपद चित्रकूट को धारा 302/34 भादवि के आरोप तहत दोषसिद्ध करते हुये उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 20,000-20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की धनराशि जमा न करने की दशा में एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेंगे तथा धारा-201 भादवि के आरोप के तहत दोषसिद्ध करते हुए उन्हे 07-07 वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 10,000-10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड की धनराशि जमा न करने की दशा में दो-दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेंगे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नि के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया ।

उल्लेखनीय है कि श्री इरसादे आलम पुत्र श्री रजऊ निवासी बांधी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी पत्नी श्रीमती मरजीना का पुनः विवाह उसकी पत्नी के पिता रज्जब अली निवासी चितरागोकुलपुरा थाना कर्वी द्वारा किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया । उ0नि0 श्री बैजनाथ यादव प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र तथा मुख्य आरक्षी अरुण कुमार द्वारा दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर सभी को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा । इस तरह दोनों पक्षों द्वारा दिनांक 23.11.2020 को आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर पति-पत्नी को आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी ।

(4). आज दिनांक-23.11.2020 को पुलिस बलों के अप्रतिम शौर्य एवं अटूट कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक “पुलिस झण्डा दिवस” के अवसर पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा पुलिस लाइन्स में ध्वजारोहण कर पुलिस ध्वज को सलामी दी गयी। बाद ध्वजारोहण शांति स्थापना हेतु सतत सक्रिय चित्रकूट पुलिस के समस्त अधि0/जवानों को पुलिस झण्डा दिवस की अनन्त शुभकामनायें देते हुये श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के संदेश को पढ़कर सुनाया गया।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद चित्रकूट के थाना रैपुरा में नियुक्त आरक्षी मकसूद अली की पुत्री कुमारी मायशा परवीन एवं पुत्र मोहम्मद फैजान को वर्ष 2019-2020 के मेधावी छात्रा एवं छात्र के रूप में उ0प्र0 स्तर पर चयन किये जाने पर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा प्रदत्त प्रशस्ति-पत्र एवं 10,000-10,000/- रुपये के चेक देकर सम्मानित किया गया। इण्टमीडिएट में मोहम्मद फैजान के द्वारा 98% एवं कुमारी मायशा परवीन के द्वारा 94.2% अंक प्राप्त किये गये फलस्वरूप उक्त मेधावी छात्र मोहम्मद फैजान एवं छात्रा कुमारी मायशा परवीन को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा ए.के. दास मेडल फार एकेडिमिक एक्सीलेन्ट का प्रमाण पत्र एवं 10,000-10,000/- रुपये का चैक प्रदान किया गया है।

इस अवसर पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री यतीन्द्रनाथ उमराव, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन्स श्री सुमेर सिंह, प्रतिसार निरीक्षक रेडियो श्री कप्तान सिंह सेंगर, प्रभारी यू0पी0 112 श्री आर.के. सिंह, क्राईम ब्रांच प्रभारी श्री चित्रसेन सिंह, पीआरओ0 पुलिस अधीक्षक श्री गुलाब त्रिपाठी एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). आज दिनांक-23.11.2020 को पुलिस बलों के अप्रतिम शौर्य एवं अटूट कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक “पुलिस झण्डा दिवस” के अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रजनीश कुमार यादव द्वारा, थाना मऊ में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम द्वारा, थाना राजापुर में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री रामप्रकाश द्वारा तथा जनपद के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना/चौकी में ध्वजारोहण कर पुलिस ध्वज को सलामी दी गयी। बाद ध्वजारोहण अपने अधीनस्थ नियुक्त अधि0/कर्मचारीगणों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के संदेश को पढ़कर सुनाया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 21 क्वार्टर देशी व 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी।

(क). उ0नि0 श्री आलोक कुमार थाना बरगढ़ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त छेदीलाल कोल पुत्र रामबोझन निवासी मोड कालोनी थाना बरगढ़ चित्रकूट को 21 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री अर्पित पाण्डेय व उ0नि0 राजकपूर यादव थाना राजापुर द्वारा अभियुक्त बबलू उर्फ अशोक पुत्र भगवती निवासी क्वेटरा मुहल्ला कस्बा व थाना राजापुर चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।